**संख्या- 38/2021-1117/58-2021-118/2016**

प्रेषक,

**सुरेन्द्र राम,**
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

**निदेशक,**
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, विभाग,
उ0प्र0 लखनऊ।

उद्यान अनुभाग लखनऊः दिनांकः 30 जून, 2021

विषयः वित्तीय वर्ष 2021-22 में प्याज बीज की व्यवस्था के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने सं0-40/प्याज बीज/आई0टी0सेल/ 2021-22, दिनांक 25.06.2021 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश सं0-35/2021-1092/58-2021-118/2016, दिनांक 24.06.2021 के प्रस्तर-2 में उल्लिखित ''प्रदेश में उच्च कोटि के प्याज की खेती को बढ़ावा देने हेतु चयनित 26 जनपदों'' के स्थान पर '' प्रदेश में उच्च कोटि के प्याज की खेती को बढ़ावा देने हेतु विभाग में संचालित समस्त औद्यानिक विकास योजना में 75 जनपदों'' अंकित किया जाता है।

3- शासनादेश सं0-35/2021-1092/58-2021-118/2016, दिनांक 24.06.2021 के शेष बिन्दु यथावत् हैं।

भवदीय,

**(सुरेन्द्र राम)**
विशेष सचिव।

**संख्या-38/2021-1117(1)/58-2021, तद्दिनांक।**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निजी सचिव, मा0 मंत्री, उद्यान विभाग, उ0प्र0शासन।
2. निजी सचिव, कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0शासन।
3. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, कृषि विभाग, उ0प्र0शासन।
4. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
5. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उ0प्र0शासन।
6. निदेशक, कृषि विभाग, उ0प्र0लखनऊ।
7. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
8. समस्त मण्डलीय उप निदेशक उद्यान, उ0प्र0।
9. समस्त जनपदीय उद्यान अधिकारी, उ0प्र0।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

**(इन्दुबाला कटियार)**
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in